न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या : 49/2025/अपील/एलआरएक्ट/बारां
दायरा दिनांक : 17.02.2025
अन्तर्गत धारा : 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

हेमराज आत्मज रामप्रसाद जाति मीणा, निवासी रामपुरा भगतान तहसील मांगरोल, जिला बारां
....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां
.....रस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री बनवारी लाल मीणा अभिभाषक –अपीलार्थी
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 10.06.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बारां (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 20/2022 बउनवान हेमराज बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 23.08.2022 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार मांगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 140/2022 दर्ज कर धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 अन्तर्गत नोटिस जारी किये जाने पर अपीलार्थी के दिनांक 30.03.2022 को बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर अपीलार्थी को ग्राम रामपुरा भगतान की आराजी खसरा संख्या 786 रकबा 0.45 है0 भूमि किस्म बंजड़ पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर संवत 2078 में फसल गेहूं की काश्त करने पर अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिनांक 30.03.2022 से 720/– रूपये शास्ति राशि से दण्डित कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल कर 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के यहां अपीलार्थी द्वारा अपील पेश करने पर निर्णय दिनांक 23.08.2022 से अपील खारिज की गई।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

2. उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया गया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णय विधि एवं न्याय संचिका में प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरित होने के कारण निरस्तनीय हैं। परीक्षण न्यायालय ने आस–पास के व्यक्तियों के बयान लेखबद्ध किये बिना व पूर्ण शहादत लिये बिना व पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलार्थी को सजायाब करने में त्रुटि की है। अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है इसके उपरांत भी विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी को पश्चातवर्ती का नोटिस दिये बिना तथा अपीलार्थी को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना अपीलार्थी की अनुपस्थिति में सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया। अपीलार्थी ने विवादित भूमि पर से सम्वत् 2078 में ही कब्जा छोड़ दिया है तथा जुर्माना की राशि जमा करा दी है। वर्तमान में कोई कब्जा उक्त आराजी पर अपीलार्थी का नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है इसके उपरांत भी विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी को पश्चातवर्ती का नोटिस दिये बिना तथा अपीलार्थी को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना अपीलार्थी की अनुपस्थिति में सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया। अपीलार्थी ने विवादित भूमि पर से सम्वत् 2078 में ही कब्जा छोड़ दिया है तथा जुर्माना की राशि जमा करा दी है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय उचित होना प्रकट करते हुए अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

6. प्रस्तुत अपील का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तथा मियाद कन्डौन करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र संलग्न कर प्रकरण का गुणावगुण पर सुना जाकर निर्णय किये जाने का अनुरोध किया गया। प्रकरण में रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलार्थी को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

7. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एवं आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय तहसीलदार मांगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 140/2022 दर्ज कर धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 अन्तर्गत नोटिस जारी किये जाने पर अपीलार्थी के दिनांक 30.03.2022 को बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर अपीलार्थी को ग्राम रामपुरा भगतान की आराजी खसरा संख्या 786 रकबा 0.45 है0 भूमि किस्म बंजड़ पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर संवत 2078 में फसल गेहूं की काश्त करने पर अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिनांक 30.03.2022 से 720/– रूपये शास्ति राशि से दण्डित कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल कर 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के यहां अपीलार्थी द्वारा अपील पेश करने पर निर्णय दिनांक 23.08.2022 से अपील खारिज की गई। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी का तर्क है कि न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल द्वारा अपीलार्थी को पश्चातवर्ती का नोटिस दिये बिना तथा अपीलार्थी को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना अपीलार्थी की अनुपस्थिति में सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया। अपीलार्थी ने विवादित भूमि पर से सम्वत् 2078 में ही कब्जा छोड़ दिया है तथा जुर्माना की राशि जमा करा दी है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अपीलार्थी के ग्राम रामपुरा भगतान की खसरा संख्या 786 की रकबा 0.45 है0 किस्म बंजड़ पर अतिक्रमण करने पर अपीलार्थी के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार मांगरोल के द्वारा धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत नोटिस दिनांक 18.02.2022, दिनांक 08.03.2022, दिनांक 24.03.2022 को जारी किये गये तथा उक्त नोटिस अपीलार्थी को तामील होना प्रकट होता है। किंतु

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

अपीलार्थी के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय तहसीलदार मांगरोल के द्वारा दिनांक 30.03.2022 को निर्णय पारित किया जाना प्रकट होता है। इससे अपीलार्थी के उक्त कथन की पुष्टि नहीं होती है कि अपीलार्थी को न्यायालय तहसीलदार मांगरोल के द्वारा दण्डादेश पारित किये जाने से पूर्व सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया हो। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी के विरूद्ध पूर्व में भी न्यायालय तहसीलदार मांगरोल के द्वारा प्रकरण संख्या 154/2018 दर्ज किया जाकर निर्णय दिनांक 26.11.2018 से वादग्रस्त आराजी पर ही अतिक्रमण कर फसल उड़द काश्त करने पर 720/– रूपये की शास्ति आरोपित करते हुए बेदखल किये जाने का निर्णय पारित किया गया। पत्रावली में उपलब्ध बयान पटवारी अनुसार अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने की पुष्टि होती है। इस प्रकार अपीलार्थी के पूर्व में भी वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण कर काश्त करने पर तथा पुनः सम्वत 2078 में अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होने से उक्तानुसार न्यायालय तहसीलदार मांगरोल के द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का नोटिस जारी कर बावजूद सूचना अपीलार्थी के उपस्थित नहीं होने पर तदनुसार निर्णय दिनांक 30.03.2022 पारित किया जाना प्रकट होता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा प्रकरण में अपीलार्थी के पश्चातवर्ती होने की पुष्टि होने के उपरांत ही निर्णय दिनांक 23.08.2022 से अपील खारिज की गई है, जो प्रकरण में तथ्यों का समुचित परीक्षण कर एवं अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान कर, उपलब्ध रिकोर्ड, दस्तावेजों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

10/6/25

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा